

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 760]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/ AGRAHAYANA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 940(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-3, प्रयोगशाला परिचर, अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून तकनीकी सहायक (रिप्रोग्राफिक) भर्ती नियम 2001 को, जहां तक उसका संबंध तकनीकी सहायक (रिप्रोग्राफिक) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में समूह 'ग' पदों (अनुसूचित और अनुसूचित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (समूह 'ग' पद).....भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक श्रेणी-2	4 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समतुल्य (ii) आशुलिपि में (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति और कम्प्यूटर पर (अंग्रेजी) में 50 शब्द प्रति मिनट और (हिन्दी) में 65 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता</p> <p>टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>सूह 'ग' विभागीय पुष्टि/समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	5 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रु में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिनकी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में 8 वर्ष की नियमित सेवा है।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगम या स्वायत्त संगठनों या लोक क्षेत्र उपक्रमों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्ति—</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा है।</p> <p>टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — अध्यक्ष अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, — सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अवर श्रेणी लिपिक	03* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200रु. + ग्रेड वेतन 1900रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समतुल्य अर्हता</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण के संनियम- कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 कुंजीदाब के औसत पर 10500 कुंजीदाब प्रतिघंटा 19000 कुंजीदाब प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट)</p>	स्तम 10 में उपदर्शित रूप में।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) 80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) विभागीय परीक्षा अर्हित होने के आधार पर, 15 प्रतिशत रिक्तियों को रु.1800 ग्रेड वेतन वाले ऐसे समूह 'ग' कर्मचारीवृंद से भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा पास या समतुल्य है और श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष)</p> <p>टिप्पण (क) : यदि इस खंड के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी हों, (ख) जो परीक्षा में अर्हित हैं, उन्हें पश्चातवर्ती वर्षों</p>

		में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे विचार किया जाएगा जिससे कि पहले की परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाय जो बाद की परीक्षा में अर्हित हैं। (iii) ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर 05 प्रतिशत रिक्तियों को ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरा जाएगा जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता रखते हैं और ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
--	--	---

(11)	(12)	(13)
स्तम्भ संख्या (7) में उपदर्शित रूप में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक केयर टेकर	01 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अवयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समतुल्य (ii) भंडार या उद्यान भूमि या भूमियों के रख-रखाव अथवा श्रमिकों पर नियंत्रण में दो वर्ष का अनुभव हो।	आयु- नहीं अर्हता- हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों की प्रोन्नति जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1800 रु में हैं और श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं तथा स्तंभ संख्या (7) में यथा विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं और निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा विहित किए जाने वाले परीक्षण पास करने के अहमधीन होंगे।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. केयर टेकर	01 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितवर्गीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अद्ययन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक केयर टेकर जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु में हैं और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगम या स्वायत्त संगठनों या लोक क्षेत्र उपक्रमों के अधीन कार्य कर रहे ऐसे व्यक्ति—

(i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(ii) जिनकी अवर श्रेणी लिपिक वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु० + ग्रेड वेतन 1900 रु० की श्रेणी में मूल कांडर या विभाग में आठ वर्ष की सेवा है और भंडार या उद्यान भूमि या भूमियों के रख-रखाव अथवा श्रमिकों पर नियंत्रण का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और यहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

3. अवर सचिव, — सदस्य
वन स्थापन,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. प्रयोगशाला परिचर	2 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200रु. + ग्रेड वेतन 1900रु.	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
---------------------	---	--	---	------	---

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास या समतुल्य हो।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों जो वेतन बैंड-1, 5200-20200रु + ग्रेड वेतन 1800रु में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और स्तंभ संख्या (7) में यथा विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा विहित किए जाने वाले परीक्षण को पास करने के अहमधीन हैं।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. तकनीकी सहायक (रिप्रोग्राफिक)	1 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट वांछनीय : क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	लागू नहीं होता।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के ऐसे प्रयोगशाला परिचर जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा यथा विहित परीक्षण पास करने के अधीन हैं।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य 	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगम या स्वायत्त संगठनों या लोक क्षेत्र उपक्रमों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्ति—

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(ii) जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु० में मूल काडर या विभाग में आठ वर्ष की नियमित सेवा हैं और स्तंभ संख्या (7) में यथा विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	1 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु० + ग्रेड वेतन 1900 रु०	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) दसवीं पास या समतुल्य अवश्य हो। (ii) भारी और हल्के मोटरयानों के लिए विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति का आवश्यक धारक हो। (iii) नेमि रख-रखाव और सर्विस से अवश्य सुपरिचित हो और मरम्मत करने में समर्थ हो।	आयु— 40 वर्ष अर्हता— हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 रु० में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और स्तंभ संख्या (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं तथा निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा यथा विहित ड्राइविंग परीक्षण के परिणाम के आधार पर प्रोन्नति।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगम या स्वायत्त संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम विभाग के अन्य ड्राइवर:</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या</p> <p>(ख) जो स्तंभ संख्या (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य 3. अवर सचिव, वन स्थापन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

[फा.सं. 9-6/2013-एफ ई]

जे.पी. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 940(E).—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indira Gandhi National Forest Academy (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade-III, Caretaker, Assistant Caretaker, Laboratory Attendant, Lower Division Clerk and the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun Technical Assistant (Reprographic) Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Technical Assistant (Reprographic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of the recruitment to the Group 'C' posts (Ministerial and Non-Ministerial) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Gandhi National Forest Academy, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Gandhi National Forest Academy (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post;
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Stenographer Grade -II.	4* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.2400/-.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	(i) 12 th pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) A speed of 80 words per minute in stenography (English or Hindi) and in typing speed 50 words per minute (English) 65 words per minute (Hindi on Computer).	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun - Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun - Member, 3. Under Secretary, Forest Establishment, - Member. Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Upper Division Clerk.	5* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.2400/-.	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Lower Division Clerk in PB-1: Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade in Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.</p> <p>Note 1 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation : Persons working in Central Government/State Government/Corporation/Autonomous organization/ Public sector undertakings. (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk in PB-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 with at least eight years regular service in the grade in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization/department shall ordinary not exceed 3 years.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Indira Gandhi National - Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi- Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member. 	Not applicable.

deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1 st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Lower Division Clerk.	3* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/-.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	(i) 12 th class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) Skill test norms on Computer. A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	As indicated in Column 10.	Two years for direct recruits.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 80% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 15% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 and who possess 12 th class pass or equivalent and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for Schedule Castes or Schedule Tribes). Note (a) If more of such employees than the number of vacancies available under clause. (b) Qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent year so that the employees	As indicated in column number (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:- 1. Director, Indira Gandhi National - Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi - Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Not applicable.

qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.
(iii) 5% vacancies shall be filled on seniority cum-fitness basis from Group 'C' employees who possess matriculation or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade pay of Rs. 1800.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant Caretaker.	1* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Central Non Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/-.	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names	(i) 12 th pass or equivalent from recognised Board or University. (ii) Two years experience of maintenance of store/garden/grounds/control and supervision of labour.	Age - No Qualification - yes	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Promotion from Group 'C' employees of Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun in PB-1, Rs. 5200-20200 with grade pay Rs.1800 and three years regular service in the grade and possessing educational qualification and experience as prescribed in column number (7) and subject to passing of a test to be prescribed by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:- 1. Director, Indira Gandhi National - Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi - Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Not applicable.

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Caretaker.	1* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs. 2400/-.	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Assistant Caretaker, PB-1: Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 and eight years regular service in the grade in Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun</p> <p>Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Deputation : Person working under Central/State Government/ Corporation/Autonomous organization/Public Sector undertakings: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) Lower Division Clerk, PB-1: Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade in the parent cadre or department and having experience of Stores/ Gardens/Grounds/ Control and supervision of labour.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Indira Gandhi National - Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi - Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member. 	Not applicable.

<p>Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization/department shall ordinary not exceed 3 years.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.Laboratory Attendant.	2* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/-.	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangri sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit name.</p>	12 th pass with Science or equivalent from a recognized Board or University.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>From Group 'C' employees of Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun with three years regular service in the grade pay of Rs. 1800 in PB-1: Rs.5200-20200 and possessing educational qualification as prescribed in column number (7) and subject to passing of a test to be prescribed by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.</p> <p>Note 1: Where Juniors who have completed their</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Indira Gandhi National -Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi - Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and 	Not applicable

qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Climate Change – Member.	
--	--------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Technical Assistant (Reprographic).	1* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs. 2400/-.	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : Intermediate Science Desirable : Having experience of three years in the field.	Qualification – must be a matriculate. Age – No.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Laboratory Attendant of Indira Gandhi National Forest Academy with 8 years regular service in the grade in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.1900 and subject to passing of a test as prescribed by Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :- 1. Director, Indira Gandhi National-Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi- Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member.	Not applicable.

on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Persons working in the Central /State Government /Corporation /Autonomous organization/ Public Sector Undertakings:-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. OR

(ii) with eight years regular service in the grade in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 in the parent cadre or department and possessing educational qualification as prescribed in column No. (7).

Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.

(The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization/department shall ordinary not exceed 3 years.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Driver (Ordinary Grade).	1* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/-.	Non-Selection

6	7	8	9	10
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	(i) must be 10th pass or equivalent. (ii) must be holder of a valid Motor Driving Licence for heavy and light motor vehicles. (iii) should be conversant with routine maintenance	Age- 40 years Qualification – yes.	Two years for direct recruits	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	and servicing and be able to do running repairs.			
---	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Promotion from Group "C" employees who have rendered three years regular service in PB-1: Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 and possessing the educational qualification as prescribed for direct recruitment under column number (7) and on the basis of the result of a driving test as prescribed by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.</p> <p>Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation : Deputation from Drivers of the other Central/State Government/ Corporation/ Autonomous organization/Public Sector under taking department: (a) holding analogous post on regular basis; (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number (7)</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization/department shall ordinary not exceed 3 years.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Indira Gandhi National-Chairman; Forest Academy, Dehradun 2. Additional Director, Indira Gandhi - Member, National Forest Academy, Dehradun 3. Under Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member. 	Not applicable.

the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
---	--	--

[F. No. 9-6/2013-FE]
J.P. MEENA, Under Secy.